फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

मूलचंद पुत्र लादूलाल तिवाड़ी नि॰ पीपलुन्द
बनाम

नरेंद्र पुत्र सोहन दास बैरागी नि॰ पीपलुन्द वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 674/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
21.06.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम **पीपलुन्द** प. ह. **पीपलुन्द** तहसील जहाजपुर में स्थित आ॰ न॰ 23 रकबा 0.8579 हेक्टेयर, आ॰ न॰ 51 रकबा 1.6673 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 2.5252 स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम **पीपलुन्द** प. ह. **पीपलुन्द** तहसील जहाजपुर में स्थित **आ॰ न॰ 23 रकबा 0.8579 हेक्टेयर, आ॰ न॰ 51 रकबा 1.6673 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 2.5252 स्थित** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक **पीपलुन्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट **शीघ्र** प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 674 / 2023 दिनांक :– 21.06.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 674/2023 अनवान मूलचंद पुत्र लादूलाल तिवाड़ी नि. पीपलुन्द बनाम नरेंद्र पुत्र सोहन दास बैरागी नि. पीपलुन्द, मोहनदास पुत्र गोकलदास बैरागी नि. पीपलुन्द, विष्णु पूत मोहनदास बैरागी नि. पीपलुन्द, गोपाल पुत्र नंदा लौहार नि. पीपलुन्द, भेरु पुत्र नंदा लौहार नि. पीपलुन्द, शिव कुमार पुत्र नन्दा लौहार नि. पीपलुन्द, हीरा पुत्र मोड़ा लौहार नि. पीपलुन्द, रामपाल पुत्र देवीलाल ब्राह्मण नि. पीपलुन्द, लछमण पुत्र देवीलाल ब्राह्मण नि. पीपलुन्द, अनिल पुत्र घीसु लाल ब्राह्मण नि. पीपलुन्द, महावीर पुत्र घीसु लाल ब्राह्मण नि. पीपलुन्द, रमेश पुत्र घीसुलाल ब्राह्मण नि. पीपलुन्द, सत्यनारायण पुत्र घीसु लाल ब्राह्मण नि. पीपलुन्द, तहसीलदार जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 23 रकबा 0.8579 हेक्टेयर, आ. न. 51 रकबा 1.6673 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 2.5252 स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)